

नंग०-3636 | 2018 / सत्ना / भूमि

रूपा ८१

(6)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय लिंक कोर्ट रीवा

राजस्व मण्डल गवालियर म०प्र०



शिवराम कोल उम्र 52 वर्ष तनय रामलाल कोल निवासी ग्राम ढेक्हा

श्रीमान् राजस्व मण्डल अधीकारी निवासी ग्राम ढेक्हा
तहसील मैहर जिला सतना म०प्र० निगराकार
लपा डारा पैशा 13.6.18

बनाम

श्रीमती दुर्गा गौतम पत्नी श्री बालमीक गौतम उम्र 45 वर्ष पेशा गृहणी

निवासी ग्राम सरला नगर थाना / तहसील मैहर जिला सतना म०प्र० निगराकार

गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 एवं धारा 32
म०प्र० का०मा० बिरुद्ध राजस्व निरीक्षक मैहर
के राजस्व प्रकरण क०-215अ12/16-17 मे
पारित आदेश दिनांक 27.06.2017

मान्यवर,

निगराकार निम्न तथ्य एवं आधारों पर उक्त निगरानी माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है :-

- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी नं०-
1717/1ख/2 रकवा 0.100 हेठो की खातेदार श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री
बालमीक गौतम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन बावत्
आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने निगराकार की
चोरी-चोरी दिनांक 27.06.2017 को आलोच्य आदेश पारित कर
सीमांकन प्रमाणित कर दिया है जिससे दुखी होकर निगराकार द्वारा
उक्त निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

कमशः—2

6

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक...निःग।०३६३८/भ.र।/२०१४..... जिला...सतना.....

..... अधिकारी कोल विरुद्ध ..दुग्धी ग्राम

1	2	3
१५-१-१९	<p>1. आवेदक की ओर से श्री<u>अमृतगेन्द्र चौधरी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त...<u>मैदान</u>..... तहसील...<u>मैदान</u>..... के प्रकरण क्रमांक...२१५/३०/२/१८/१७..... में पारित आदेश दिनांक...१८-५-२०१७..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर....<u>सतना</u>..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ...२५-३-२०१९.. को कलेक्टर....<u>सतना</u>..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	।

म
सदस्य